बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-52.

विज्ञापन संख्या-बी.सी.ई.सी.ई.बी.(बी.सी.ई.सी.ई.)-2009/17 दिनांक- 08.12.2009

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2009 के आधार पर पी.सी.एम. ग्रुप की पूर्व काउन्सेलिंग के क्रम में विकलांग कोटा के अन्तर्गत विकलांग अभ्यर्थियों के संस्थान / पाठ्यक्रम आवंटन के बाद, रुके (ब्लौक) हुये आवंटनादेश विमुक्त (Release) करने से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

मुख्य आयुक्त, नि:शक्तता न्यायालय, नई दिल्ली के केस न. 10/1032/08-09 & 8/1032/08-09 से सम्बन्धित पत्र Dispatch No. 3732 दिनांक 12.06.2009 के आलोक में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2009 के आधार पर पी.सी.एम.की पूर्व में सम्पन्न कॉऊन्सेलिंग / साक्षात्कार के क्रम में स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रम में नामांकनार्थ विकलांग कोटा के अन्तर्गत विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा चयनित संस्थान/ पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के पश्चात् आवंटनादेश रोक (ब्लौक) रखा गया था।

मुख्य आयुक्त, नि:शक्तता न्यायालय, नई दिल्ली ने जिन वादों पर उक्त अन्तरिम आदेश पारित किया था उसे निष्पादित करने हेतु राज्य आयुक्त, नि:शक्तता बिहार को प्राधिकृत किया था, जिन्होंने अपने ज्ञापांक-781/आ0नि0का, दिनांक 07.12.09 द्वारा यह निर्देशित किया है कि विकलांग कोटा के अन्तर्गत रोके (block) गये आवंटनादेश को शीघ्र विमुक्त (release) किया जाये ।

अत: उपरोक्त कॉऊन्सेलिंग के आधार पर जिन विकालांग अभ्यर्थियों द्वारा चयनित पाठ्यक्रम / संस्थान के लिये आवंटनादेश रोके गये थे, उनको यह सूचित किया जाता है कि रोके (block) गये आवंटनादेश, पर्षद कार्यालय से दिनांक 14.12.2009 से 16.12.2009 की अवधि में प्राप्त कर अपना नामांकन आवंटित संस्थान / पाठ्यक्रम में दिनांक 20.12.2009 तक अवश्य ले लें । उक्त तिथि तक आवंटनादेश प्राप्त नहीं करने वाले अथवा दिनांक 20.12.2009 तक नामांकन नहीं लेने वाले अभ्यर्थी नामांकन हेतु अपना दावा खो देगें ।

परीक्षा नियंत्रक
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद